न्यायालय अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर
पीठासीन अधिकारी सुरेन्द्र सिंह पुरोहित आर.ए.एस

रेफरेन्स प्रार्थना पत्र सं. 45/2024

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
सरकार जरीये तहसीलदार जोधपुर		1. लालदास पुत्र मोहनदास 2. भंवरीया पुत्र गोराराम जाट 3. गोपाराम पुत्र गोराराम जाट 4. समुदेवी पत्नि 5. मंछादेवी पत्नि श्यामलाल तहसील व जिला जोधपुर।

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति	1.प्रार्थी की ओर से विभागीय पैरोकार उपस्थित 2.अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता कानाराम गोदारा उपस्थित।

निर्णय

दिनांक 09.07.2025

प्रकरण में संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार जोधपुर ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 82, राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश कर जाहिर किया कि वाके ग्राम दांतीवाड़ा तहसील जोधपुर के ख.नं. 647/2 किस्म गैर मुमकीन नदी में अप्रार्थी को रकबा 15.00 बीघा ख.नं. 647/1 रकबा 24.18 बीघा का आवंटन/नियमन किया गया जिसका नामान्तरकरण संख्या 77 खोला जाकर स्वीकार किया गया तथा बाद बैचान नामान्तरण संख्या 785 व 1015 दर्ज किया गया। वर्तमान में राजस्व रिकॉर्ड में आज भी अप्रार्थी के नाम दर्ज है। प्रार्थना–पत्र में बताया गया कि राजस्व रिकॉर्ड में विवादग्रस्त भूमि गेर मु. नदी दर्ज होने से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के तहत प्रतिबंधित क्षेत्र में आने से उक्त आवंटन/नियमन विधि विरूद्ध एवं गलत होने से निरस्त योग्य है।

प्रार्थना–पत्र (रेंफरेंस) दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीपक्ष की ओर से अधिवक्ता श्री कानाराम गोदारा ने वकालतनामा पेश किया। प्रकरण में बहस सुनी गई। अप्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि विवादग्रस्त भूमि मौके पर नदी के रूप में काम नहीं आ रही है, रिकॉर्ड में नदी दर्ज थी।

सरकारी पैरोकार की ओर से बताया कि ग्राम दांतीवाड़ा तहसील जोधपुर के ख.नं. 647 की भूमि वक्त सेटलमेंट से किस्म गे.मु. नदी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है तथा राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार उक्त भूमि में वर्ष 1967 में अप्रार्थीगण को आंवटन/नियमन की गई जो विधि विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। अपनी बहस में आगे कहा कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर

की धारा 16 के तहत गेर मुमकीन नदी प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमि होने से उसमें किसी प्रकार का आवंटन/नियमन नहीं किया जा सकता है अतः विवादग्रस्त भूमि के नियमन करने के आदेश की पालना में नामान्तरकरण सं0 77, 224, 785, 1015 ग्राम दांतीवाड़ा तहसील जोधपुर विधि विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के अनुसार भूमियां जिनमें खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होगें– इस अधिनियम में अथवा राज्य के किसी भाग में उस समय प्रचलित किसी अन्य विधि या अधिनियमिति में किसी बात के होते हुए, खातेदारी अधिकार निम्नलिखित में प्राप्त नहीं होगें–

1– गौचर भूमि,

2– नदी तल या तालाब की भूमि जो आकस्मिक या कभी कभी खेती के लिए काम में ली जाती हो ।

3– सिंघाड़ा या अन्य ऐसी ही उपज पैदा करने के लिये काम में ली जाने वाली जलमग्न भूमि,

4– भूमि जो, अदल बदल कर की जाने वाली खेती अथवा अस्थाई कृषि के लिये प्रयोग में आती हो,

5– भूमि जिसमें ऐसे बाग लगे हो, जिनकी स्वामी सरकार हो एवं जिनकी देखरेख राज्य सरकार द्वारा की जाती है,

6– किसी सार्वजनिक अभिप्राय अथवा सार्वजनिक हित के कार्य के लिये प्राप्त की गई अथवा धारण की गई भूमि,

7– भूमि जो इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के समय अथवा उसके बाद किसी समय सैनिक पड़ाव स्थलों के लिये नियत कर दी जाय,

8– किसी छावनी की सीमाओं के भीतर स्थित भूमि,

9– रेलवे या नहर की सीमा बंधे के भीतर स्थित भूमि,

10– किसी सरकारी वन के सीमा–बंधों के भीतर स्थित भूमि,

11– म्युनिसिपल खाइयों के स्थल,

12– शिक्षण संस्थाओं द्वारा कृषि में शिक्षण के लिये तथा खेल मैदानों के लिये धारणा अथवा प्राप्त की गई भूमि,

13– सरकार के किसी कृषि फार्म या घास के फामर्स की सीमाओं के भीतर स्थित भूमि,

14. भूमि जो किसी गांव या आस पास के गांवों के लिए पीने के पानी जलाशय से या टांके में पानी जाने के लिए अलग रखी गई हो या कलक्टर की राय में, तदर्थ आवश्यक है।

पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार 1955 से या इससे पूर्व ग्राम दांतीवाड़ा के ख.नं. 647 की किस्म भूमि गेर मुमकीन नदी दर्ज है तथा गेर मुमकीन नदी किस्म की भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमि है अप्रार्थीगण को खसरा नं. 647 में 15.00 बीघा का आवंटन करने के दिनांक 17.07.1967 को आवंटन कमेटी द्वारा किया गया, की टिप्पणी करते हुए नामान्तरकरण संख्या 224 स्वीकृत किया गया। अप्रार्थी पक्ष का कथन है कि विवादित नामान्तरकरण तहसीलदार के कथित आदेश की पालना में स्वीकृत

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)

किया गया अतः जब तक तहसीलदार के आदेश को निरस्त नहीं कराया जाता है, तब तक आदेश की पालना में स्वीकृत नामान्तरकरण को निरस्त कराने के लिए रेफरेंस नहीं किया जा सकता है, चूंकि रेफरेंस कार्यवाही कलक्टर द्वारा पक्षकार को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् वस्तुस्थिति की रिपोर्ट के आधार पर माननीय राजस्व मण्डल को प्रेषित किया जाता है, न कि तहसीलदार द्वारा । माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा डी.बी. सिविल रिट याचिका (PIL) संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार व अन्य में आदेश दिनांक 02.08.2004 एवं उच्च न्यायालय जयपुर पीठ के समक्ष एस.बी. सिविल याचिका संख्या 11153/11 सुओमोटो बनाम राजस्थान सरकार में दिये गये आदेशों की अनुपालना में राज्य सरकार के राजस्व (ग्रुप–7) विभाग के परिपत्र क्रमांकः प.4 (89) राज–7 /2003 जयपुर दिनांक 20–25/01/12, परिपत्र क्रमांक प.3 (146) राज–7/2011 जयपुर दिनांक 05.07.2012, परिपत्र क्रमांक प. दिनांक 26.06.2012 एवं प. 10 (3) राज–6/2001–पार्ट/5 जयपुर 10 (3) राज–6/2001–पार्ट/17 जयपुर दिनांक 23.09.2011 में दिये गये निर्देशों में भी ऐसे प्रकरणों के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में चाराजुई कर आवंटन/नियमन के आदेश निरस्त करा इस स्टेज पर अप्रार्थीपक्ष द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयों के दृष्टांशों का विवेचन माननीय राजस्थान राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा ही कर उचित निर्णय किया जाना न्यायसंगत होगा

पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार ग्राम दांतीवाड़ा के ख.नं. 647 की किस्म भूमि गेर मुमकीन नदी दर्ज है तथा गेर मुमकीन नदी किस्म की भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 धारा 16 के तहत प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमि है जिसमें किसी प्रकार से आंवटन/नियमन नहीं किया जा सकता है। अतः अप्रार्थी लालदास के नाम से 15 बीघा भूमि आवंटन/नियमन करने के कथित आदेश की टिप्पणी करते हुए नामान्तरकरण संख्या 224 स्वीकृत किया गया, जो विधि विरूद्ध होने से शून्य है तथा शून्य आदेश का कानून में कोई अस्तित्व नहीं होने बाबत् विभिन्न न्यायालयों ने भी अभिनिर्धारित किया है।

अतः ग्राम दांतीवाड़ा तहसील जोधपुर के ख.नं. 647 किस्म गेर मुमकीन नदी में कथित आंवटन कमेटी द्वारा दिनांक 17.07.67 को अप्रार्थीगण के पक्ष में 15 बीघा भूमि आवंटन करने के आदेश एवं उसकी पालना में स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 224 दिनांक 15.02.1975 (सरपंच ग्राम पंचायत खातियासनी द्वारा स्वीकृत) व नामान्तरकरण संख्या 785 व 1085 (वर्तमान खसरा नम्बर 647/2 की भूमि खातेदारी तक) को निरस्त करने के लिए एवं पुनः राजस्व रिकॉर्ड में गेर मुमकीन नदी दर्ज करने के लिए माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को उक्त प्रकरण प्रेषित किया जाता है। पक्षकारान माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में दिनांक 25.08.2025 को उपस्थित हो। आदेश सुनाया गया।

(सुरेन्द्र सिंह पुरोहित RAS)
अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर

आदेश आज दिनांक 09.07.2025 को सुनाया व हस्ताक्षरित किया गया।

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर (राज.)

(सुरेन्द्र सिंह पुरोहित RAS)
अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर